कार्यालय :–अध्यक्ष, वाहन चालक भर्ती, जिला एवं सेशन न्यायालय, पाली।

क्रमांकः–　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक :–14/07/2014

विज्ञप्ति

पाली न्यायक्षेत्र में वर्तमान में अस्थाई वाहन चालक का एक पद सामान्य वर्ग का रिक्त है। प्रशासनिक कारणों से रिक्तियों की संख्या घटाई–बढ़ाई जा सकती है। उक्त रिक्त पद हेतु रनिंग पै बैण्ड पीबी 1 5200–20200 ग्रेड पे 2400/ रूपये प्रतिमाह में राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना ए 11 (7) वित्त/ (नियम) 2008 दिनांक 12.09.2008 के नियम 21 के अन्तर्गत एवं राज्य सरकार के नोटिफिकेशन संख्या एफ. 14 (1) एफ.डी. (रूल)2013–11 दिनांक 28.06.13 दो वर्ष तक देय नियत पारिश्रमिक 7900/ रूपये प्रतिमाह (प्रोबेशनरी ट्रेनी के रूप में) अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत पारिश्रमिक पर उक्त पदों पर भर्ती/नियुक्ति हेतु राजस्थान (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम, 1999 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जाते है। दो वर्ष की प्रोबेशन अवधि संतोषप्रद होने पर ही उसका कार्यकाल बढ़ाया जायेगा एवं नियमित वेतन श्रृंखला में वेतन देय होगा।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 05 (7) एफ.डी. (रूल्स)/97 दिनांक 14.01. 2004 तथा राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 12 (8) एफ.डी. (रूल्स)/ 05 दिनांक 13.03.16 एवं दिनांक 12.09.2008 के अन्तर्गत नियुक्त होने वाले अभ्यर्थी पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना, मेडिकल अटेण्डेण्ट रूल्स तथा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि एवं स्थाई पारितोषण सम्बन्धी सभी नये नियम लागू होगें।

1- **आयु** :– आवेदन की आयु दिनांक 01.01.2015 को 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। राज्य कर्मचारी/भूतपूर्व सैनिक/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में नियमानुसार छूट देय होगी।

2- **शैक्षणिक योग्यता** :– उक्त पद हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को किसी राजकीय या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल से कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिये।

3- **पात्रता** :–

   I. आवेदक के पास हल्के वाहन चलाने का वैध अनुज्ञा पत्र होना चाहिएं तथा वाहन चालक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिये।
   II. आवेदक का वजन 65 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिये।
   III. आवेदक की दृष्टि चश्मे से या बिना चश्मे के 6/6 होनी चाहिये।
   IV. आवेदक को मार्ग में वाहन मरम्मत करने की जानकारी तथा ड्राईविंग में दक्षता होनी चाहिये तथा वाहन के बारे में साधारण तकनीकी ज्ञान होना आवश्यक है।

4- **शारीरिक योग्यता** :– अभ्यर्थी का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिये और उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिये जो उसके कार्य निष्पादन में बाधा उत्पन्न करता हो। नियुक्ति के समय अभ्यर्थी को सक्षम चिकित्सा अधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तु करना होगा।

5- **चरित्र** :– अभ्यर्थी को स्कूल /कॉलेज जहां से उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की है, के संस्था प्रधान /प्राचार्य द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी तथा दो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियो के द्वारा प्रदत्त मूल चरित्र प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होगें, जो आवेदक के संबंधी नही हो तथा न ही आवेदक के स्कूल /कॉलेज अथवा विश्वविद्यालय से संबंधित हो, लेकिन वे आवेदक के निजी जीवन से परिचित हो। ऐसे चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन करने की तिथि से छः माह की अवधि से अधिक पुराने नही होने चाहिये।

6- **नागरिकता** :– अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिये एवं उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत राष्ट्रीयता के नियम के अनुसार अर्हता प्राप्त हो ।

7- **नियुक्ति के लिए निरर्हता** :–

   I. अभ्यर्थी के विवाहित होने की सूरत में, आवेदन पत्र के साथ विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र या विवाह पंजीकृत नहीं होने की स्थिति में, स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा । इन दोनो के अभाव में अभ्यर्थी के अविवाहित होने की ही अवधारणा की जायेगी।

II. एक से अधिक जीवित पत्नियो वाले पुरूष एवं पुनः शादीशुदा ऐसे पुरूष अभ्यर्थी जिनकी पहली पत्नी जीवित हो तथा ऐसी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे व्यक्ति से शादी की है जिसकी पत्नी पहले से जीवित है तथा जिस व्यक्ति ने विवाह मे दहेज प्राप्त किया है, वे सेवा मे नियुक्ति के पात्र नही होगें।

III. ऐसे अभ्यर्थी जिसके दिनांक 01.06.2002 को या इसके पश्चात दो से अधिक संतान हो, सेवा मे नियुक्ति के पात्र नही होगें। अतः अभ्यर्थी को नियुक्ति के पूर्व इस आशय का अंडरटेकिंग प्रस्तुत करना होगा।

IV. आवेदक आवेदन के साथ इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसे किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्वि किया जाकर दण्डित नहीं किया गया है एवं उसके विरूद्व किसी प्रकार का कोई दाण्डिक न्यायालय में लम्बित नहीं है और यदि लम्बित है, तो उसका विवरण शपथ पत्र में प्रस्तुत करेगा।

8- **आवेदन पत्र** :– अभ्यर्थी को अपना आवेदन पत्र सादे कागत पर सुस्पष्ट लेखनी से लिखा हुआ अथवा टंकित किया हुआ प्रस्तुत करना होगा, जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जाति, स्थाई पता, वर्तमान पता, शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि, राष्ट्रीयता तथा आरक्षित वर्ग का नाम का उल्लेख हो तथा नियोजन कार्यालय का पंजीयन क्रमांक व वैधता की अवधि अंकित हो। प्रार्थना पत्र पर अपना स्वयं का हस्ताक्षरित फोटाग्राफ, जो सत्यापित हो, चस्पा किया जावे। प्रार्थना पत्र के अन्त में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर अंकित होने चाहिए। प्रार्थना पत्र के अन्त में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर अंकित होने चाहिऐ। इस विज्ञप्ति के संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

यदि अभ्यर्थी वर्तमान में कहीं सेवारत हो तो उसका प्रार्थना पत्र में उल्लेख करें, राजकीय सेवा में सेवारत कर्मचारी अपना प्रार्थना पत्र अपने विभाग के माध्यम से प्रेषित करें।

9- **आवेदन पत्र की अन्तिम तिथि** :– आवेदन पत्र दिनांक 07.08.2014 को सांय 5 बजे तक इस कार्यालय में प्राप्त हो जाने चाहिए। उपरोक्त अन्तिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा तथा उन्हें निरस्त कर फाईल कर दिया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र, वांछित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों, आवश्यक प्रमाण पत्रों के संलग्न न होने पर एवं अन्य किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा तथा उस पर कोई विचार नहीं किया जावेगा व इसकी अलग से कोई सूचना आवेदन को प्रेषित नहीं की जावेगी।

10- **साक्षात्कार** :– आवेदन करने वाले जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाये जावेगें, उनकी सूची दिनांक 18.08.2014 को इस न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जावेगी। साक्षात्कार एवं ट्रेड टेस्ट हेतु योग्य पाये गऐ आवेदकों का साक्षात्कार एवं ट्रेड टेस्ट दिनांक 31.08.2014 को प्रातः 11 बजे से जिला न्यायालय परिसर, पाली में लिया जायेगा। उक्त दिवस को सभी आवेदनों के सात्क्षाकार एवं ट्रेड टेस्ट पूर्ण न होने की स्थिति में शेष रहे आवेदकों के सात्क्षाकार एवं ट्रेड टेस्ट अगले कार्य दिवसों को उक्त स्थान पर ही लिये जावेगें। जिसकी सूचना नोटिस बोर्ड पर लगा दी जावेगी तथा पृथक से किसी भी आवेदक को सूचना प्रेषित नहीं की जावेगी। किसी भी आवेदक को साक्षात्कार हेतु यात्रा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जावेगा। आवेदक ने जिन प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपियॉ आवेदन के साथ संलग्न की है, उनके मूलप्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय साथ लेकर आवें। भर्ती नियमों में वांछित पात्रता पूर्ण करने पर ही अभ्यर्थी नियुक्ति का पात्र होगा। पात्रता के सम्बन्ध में नियोक्ता का निर्णय अन्तिम होगा।

11- **आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें** :–

I. शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धित प्रमाण पत्रो की सत्य प्रतियॉ।

II. आयु सीमा में छूट के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र की सत्य प्रतियॉ।

III. अन्तिम शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र की सत्य प्रति।

IV. दो उत्तरदायी व्यक्तियों के मूल चरित्र प्रमाण पत्र, जो छः माह से अधिक पुराने न हो।

V. आवेदन पत्र पर स्वयं का हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो, जो सत्यापित हो।

VI. आरक्षण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्य प्रतियॉ

VII. यदि आवेदक अविवाहित है या उसका विवाह दिनांक 22.05.06 से पूर्व हुआ है तो उसे इस आशय का शपथ पत्र 10/ रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से सत्यापित करवाकर संलग्न करना होगा। जिन आवेदकों का विवाह दिनांक 22.05.06 को या इसके बाद हुआ है, उन्हें सक्षम अधिकारी द्वार जारी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्य प्रयिॉ संलग्न करना होगा।

VIII. आवेदक को 10/ रूपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् उसके दो से अधिक संतान नहीं है, जो शपथ पत्र नोटेरी द्वारा सत्यापित हो।

IX. विवाहित आवेदक दहेज नहीं लेने सम्बन्धी घोषणा पत्र आवेदन पत्र के साथ आवश्यक संलग्न करें।

X. राज्य सेवा में कार्यरत कर्मचारी अपने विभागाध्यक्ष के स्वीकृति पत्र की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करें या आवेदन पत्र अग्रेषित करवाकर प्रेषित करें।

XI. नियोजन कार्यालय के नवीनीकृत पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्य प्रति।

XII. चालक अनुज्ञा पत्र की सत्य प्रति।

XIII. आवेदक सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र इस आशय का प्रस्तुत करें कि वह वाहन चालन हेतु शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से सक्षम है व उसकी दृष्टि चश्मे से या बिना चश्मे से 6/6 है।

XIV. जो आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं को उत्तीर्ण कराने के प्रयास करेगें, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।

12- साक्षात्कार की तिथि में परिर्वतन किये जाने पर उसकी सूचना जिला एवं सेशन न्यायालय, पाली के सूचना पट्ट पर लगा दी जायेगी, किसी भी अभ्यर्थी को अलग से इसकी सूचना प्रेषित नहीं की जायेगी।

13- साक्षात्कार की प्रक्रिया सम्पूर्ण होने के सात दिवस के भीतर अन्तिम परिणाम न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिया जावेगा।

14- टिप्पणी

साक्षात्कार में आने व साक्षात्कार लेने का अर्थ यह नही होगा कि अभ्यर्थी को पूरी तरह से पात्र व योग्य मान लिया गया है तथा इस आधार पर कोई हित व अधिकार उत्पन्न नही होगें। यह नियुक्ति निश्चित समयावधि व पूर्णतया अस्थाई होकर कभी भी समाप्त होने योग्य है। न्यायालय के अवसान होने अधिशेष कनिष्ठ कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की जा सकेगी। जो आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं को उत्तीर्ण कराने के प्रयास करेगें, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।

अध्यक्ष
(वाहन चालक भर्ती कमेटी)
जिला एवं सेशन न्यायालय,
पाली (राज.)

क्रमांक/सामान्य/2014/ दिनांक :— 14/07/2014

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. श्रीमान रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ।
3. समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश ....
4. जिला कलक्टर, पाली
5. जिला नियोजन अधिकारी, पाली ।
6. जिला समाज कल्याण अधिकारी पाली
7. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, पाली को प्रचारार्थ
8. समस्त अधीनस्थ न्यायालय पाली न्यायक्षेत्र नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
9. सूचना पटट् जिला न्यायालय पाली
10. कार्यालय प्रति।

अध्यक्ष
(वाहन चालक भर्ती कमेटी)
जिला एवं सेशन न्यायालय,पाली(राज.)

वाहन चालक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

1. आवेदक का नाम :– . . . .
2. पिता / पति का नाम :– . . . .
3. आवदेक के पति / पत्नी का नाम . . . .
   (यदि विवाहित हो तो) यदि आवेदक . . . .
   अविवाहित हो तो ''अविवाहित'' लिखे। . . . .
4. संवर्ग (सामान्य / अ.पि.वर्ग / अजा / जजा)
   जिस संवर्ग से सम्बन्धित हो लिखें। :– . . . .
5. जन्म तिथि :– (अंको में) :– . . . .
   (शब्दों में) :– . . . .
6. राष्ट्रीयता :– . . . .
7. स्थायी पता :– . . . .
   . . . .
   . . . .
8. वर्तमान पता :– . . . .
   . . . .
   . . . .
9. निकटतम पुलिस स्टेशन :– . . . .
10. शैक्षणिक योग्यता :– . . . .
11. वर्तमान नियुक्ति, यदि कोई
    हो पद, सेवा की अवधि पदनाम :– . . . .
12. अग्रेषण अधिकारी का नाम, पदनाम
    यदि अभ्यर्थी पूर्व में सेवारत है :– . . . .
13. ड्राईविंग लाईसेंस संख्या व उसकी वैधता :– . . . .
    . . . .
14. वाहन चालन का अनुभव :– . . . .
    . . . .

आवेदक के हस्ताक्षर मय दिनांक

मैं . . . . सत्यापित करता हूं कि प्रार्थना पत्र में अंकित उपरोक्त सभी तथ्य मेरी जानकारी में सत्य है।

दिनांक :–

आवेदक के हस्ताक्षर मय दिनांक

शपथ पत्र

मैं........................ पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती .... निवासी .... शपथ पूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि मेरा विवाह श्रीमति/श्री .... निवासी .. .. के साथ सम्पन्न हुआ था परन्तु अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व दिनांक .... को सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं है।

या

मेरा विवाह श्रीमति/ श्री .... निवासी .... के साथ दिनांक .... को राजस्थान के बाहर सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है।

या

मैं अविवाहित हूँ।

या

मैं .... विधुर/तलाकसुदा/ विधवा हूँ (पति/पत्नि) श्री/श्रीमति ....

संतान सम्बन्धी घोषणा पत्र

मैं .... पुत्र /पुत्री श्री .... निवासी .... यह घोषणा करता हूँ कि मेरे दिनांक 01.06.2002 के पश्चात तीसरी संतान उत्पन्न नहीं हुई है।

— — —

अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नाकिंत प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियां एवं शपथ पत्र संलग्न करने आवश्यक है :—

1. एक पासपोर्ट साईज फोटो स्वयं के हस्ताक्षर सहित आवेदन पत्र पर चस्पा किया जावें
2. जन्म तिथि सम्बन्धित प्रमाण पत्र
3. शेक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियां
4. दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के प्रमाण पत्र जो अभ्यर्थी के रिश्तेदार नहीं हो
5. मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति, जाति सम्बन्धि प्रमाण पत्र की प्रति— एससी/एसटी/ओबीसी
6. जिला नियोजन कार्यालय द्वारा जारी पंजीयन कार्ड की प्रति
7. विवाह सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रति/शपथ पत्र
8. दो से अधिक संतान न होने के शपथ पत्र